पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/वरि०न०नि०/ III - 256/.....

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

सैक्टर : 128 नौएडा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2011 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत पाकेट संव वी 39 एवं 40, (क्लासिक) सैक्टर - 129, 134, नौएडा में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
- 2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
- 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
- 5. दरवाजे व खिडिकियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों।
- 6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
- 7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
- 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा तािक उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीिफकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
- 9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
- 10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
- 11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नौएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी ।
- 12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
- 13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
- 14 कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ट नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
- 15 कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन करना होगा ।
- 16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते हैं।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:--

SI. No.	LAND USE DESTRIBUTION	AREA (ACRES)	%age 58.60	
1.	RESIDENTIAL	603.27		
2.	COMMERCIAL	21.53	2.09	
3.	INSTITUTIONAL & COMMUNITY FACILITIES	105.56	10.25	
	COMMUNITY FACILITIES	20.81	2.02	
	HEALTH	26.34	2.56	
•	INSTITUTIONAL	58.41	5.67 15.00	
4.	RECREATIONAL	154.43		
5.	ROADS AND TRANSPORATION	144.75	14.06	
TO	OTAL LAND UNDER MASTER PLAN RESIDENTIAL ZONE	1029.55	100.00	
TOTA	L LAND UNDER MASTER PLAN COMMERCIAL IN SECTOR- 129	43.29		
	TOTAL LAND AREA	1072.84		

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनिशप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:--

SI. No.	LAND USE DESTRIBUTION	AREA (ACRES)	%age		
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00		
2.	Recreational Green	9.762	15.00		
3.	Commercial	2.603	4.00		
4.	Institutional/Facilities	utional/Facilities 8.421			
5.	Residential	36.485	56.06		
	Total	65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%		

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि 1072.84 + 65.08 = 1137.92 एकड. (46,05,100.00 वर्ग मी0)

- कन्शेसनर एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = 46,05,100वर्ग मी०)
 पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. र 1.5
 = 69,07,650.00 वर्ग मी०
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134)
 आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल =24,41,347.073 वर्गमी० (603.27एकड.)
- अनुमन्य भू—आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
 (वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = 9,76,538.820 वर्ग मी0
 अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेत् निर्धारित = 48,82,694.146 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित = भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर.@ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08 में लिए गये के अनुरुप)

Ja Or

Com W



अनुमन्य ऊँचाई

= कोई सीमा नही

• पाकेट सं0 बी 39 एवं 40 के लिए प्रस्तावित ऊँचाई =

52.00 मीटर

कार्यदायी संस्था द्वारा पाकेट सं0 बी 39 एवं 40 के लिए विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	प्रस्तावित क्षेत्रफल
	पाकेट सं0 बी-39 व बी-40 (वर्ग मी0)
भूतल	10131.510
प्रथम तल	6546.880
द्वितीय तल	8727.560
तृतीय तल	6510.780
चर्तुथ तल	8727.560
पंचम तल	6510.780
छटवां तल	8727.560
सातवां तल	6510.780
आठवां तल	8727.560
नीवा तल	6510.780
दसवां तल	8727.560
ग्यारहवां तल	6510.780
बारवां तल	8727.560
तेरहवां तल	6510.780
चौदहवांतल	825.320
पन्द्रहवां तल	825.320
सीलहवां तल	825.320
कुल एफ.ए.आर.	110584.39
तहखाना	1
तहखाना : प्रथम	27711.16
तहखाना : द्वितीय	27284.59
कुल क्षेत्रफल	54995.75
सेवा क्षेत्रफल	8658.18
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)	174237.93

41

n

एफ0ए0आर0 विवरण-

SI. No. 1	Description 2		Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Cum m. Revi sed FAR 8	Balance FAR (Sqm.)
	2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360	51255512111111	
3.	Group Housing Kalypso & Imperial Tower	B1/B2/ B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	200000 (40000)	65,59,989.345
4.	Group Housing (PH-1,PH-2,PH- 3,PH-4,PT-1,PT- 2,TH-1 & TH-2)	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295	***************************************	*****	63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise)	B1, B2, B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)		62,86,860.627
6.	Group Housing Aman	151	Residential	20.10.11	324587.222	945376.592			59,62,273.405
7.	Group Housing Kosmos	B-35, 36,37, 38,41 B & 43	Residential	01.11.11	7,53,831.85	16,99,208.44			52,08,441.555
8.	Group Hosing Klassic	B-39 and B-40	Residential		110584.39	1809792.83			5097857.165
					1809792.83				

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल

= 11248.12 वर्ग मी0

प्रस्तावित एफ0ए0आर0

110584.39 वर्ग मी0

Map for proposed Building i per Bye Laws. Submitted for approva, piease.

प्रतिलिपिः

1. मुख्य परियोजना अभियन्ता, नीएडा को सादर सूचनार्थ ।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
 मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।